न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

निगरानी संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/01/2022	11-03-2022	11-01-2023

1— पंचायत समिति कठूमर जरिये विकास अधिकारी कठूमर जिला अलवर।

निगरानीकार

बनाम

1— ग्राम पंचायत कठूमर, तहसील कठूमर जिला अलवर
2— प्रवर अधीक्षक, डाक घर अलवर
3— उप डाक पाल डाक घर कठूमर अलवर

अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 06.10.1985 ग्राम पंचायत कठूमर प्रस्ताव संख्या 12 जिसके द्वारा उप डाकघर कठूमर को भूमि आंवटन की गयी है, को निरस्त किये जाने हेतु।

उपस्थितः—

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल — वकील निगरानीकार
02. श्री नवनीत कुमार तिवाडी — वकील अनिगरानीकार संख्या 2,3
03. श्री कृष्ण कुमार मीना — वकील अनिगरानीकार संख्या 1

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार ने यह निगरानी ग्राम पंचायत समिति कठूमर के आदेश दिनांक 06.10.1985 प्रस्ताव संख्या 12 जिसके द्वारा उप डाकघर कठूमर को भूमि आंवटन की गयी है, को निरस्त किये जाने हेतु पेश की है। निगरानी प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि, ग्राम पंचायत कठूमर के द्वारा प्रस्ताव संख्या 12 दिनाक 15.10.1985 को पोस्ट ऑफिस का भवन निर्माण हेतु कस्बा कठूमर में कठूमर रोड के पास खाली भू0 खण्ड 39 गुणा 24 अर्थात 936 वर्गमीटर भूमि का आंवटन (पटटा) जारी किया गया था। जिस पटटे की शर्त संख्या 08 में अंकित था, कि इस भूमि पर आंवटन के 02 साल के अन्दर मकान बनाना अनिवार्य होगा, यदि नियत अवधि में यह कार्य नही कराया तो भू0 खण्ड वापिस लेने का अधिकार आंवटन अधिकारी ग्राम पंचायत कठूमर का होगा। आंवटन के पश्चात अनिगरानीकार द्वारा आदिनाक तक कोई भवन निर्माण नही किया तत्कालीन संरपंच किशन लाल द्वारा तत्कालीन संचार मंत्री, भारत सरकार को भवन निर्माण हेतु दिनाक 28.02.1986 को पत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

भेजा। जिसमें साफ अंकित था, कि प्रवर अधीक्षक डाक घर अलवर द्वारा भवन निर्माण हेतु कोई प्रयास नही किये जा रहे है, अति–शीध्र भवन निर्माण कराया जावे। जिस पर संचार मंत्री, भारत सरकार ने पत्र दिनाक 22.05.1986 के द्वारा अवगत कराया की डाक घर मौजुदा भवन में किराये पर चल रहा है। भवन में सारी सुविधाऐ है, तथा डाक घर के निर्माण हेतु उपलब्ध सीमित धनराशि को देखते हुऐ सॉतवी योजना में कठूमर में डाक घर विभागीय भवन का निर्माण करने के प्रस्ताव को शामिल करना असंभव है। ग्राम पंचायत कठूमर के पत्र दिनाक 27.01.2021, 23.02.2021, 27.09.2021, 01.12.2021, 10.12.2021 व 24.01.2022 के द्वारा डाक विभाग उप डाक पाल/प्रवर अधीक्षक डाक विभाग अलवर को भवन निर्माण नही करने के कारण क्यो नही आंवटन निरस्त किये जाने हेतु पत्र लिखे गये तथा मौके पर आंवटित प्लाट पर गंदगी का ढेर लगा होने व पटटे की शर्त संख्या 08 का उल्लंघन होने बाबत उल्लेख अंकित करते हुऐ बार–बार सूचित किया गया, किन्तु प्रवर अधीक्षक डाक विभाग के पत्र दिनाक 29.01.2021, 29.09.2021, 06.12.2021 व 13.12.2021 के द्वारा ग्राम पंचायत को जवाब भेजा गया कि, भवन निर्माण की प्रक्रिया केन्द्र सरकार द्वारा वरीयता के आधार पर होती है। जिस पर ग्राम पंचायत कठूमर द्वारा आंवटित भूमि पर डाक घर द्वारा भवन निर्माण हेतु आदिनाक तक कोई प्रयास नही किये जाने पर ग्राम पंचायत कठूमर द्वारा दिनाक 06.10.1985 से आंवटित भूमि पर कब्जा नही होने एवं भवन निर्माण नही करने पर व आंवटन की शर्त संख्या 08 की अवहेलना किये जाने के कारण ग्राम पंचायत कठूमर की बैठक दिनाक 08.02.2022 को प्रस्ताव संख्या 02 के द्वारा आंवटन निरस्त किये जाने बाबत सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया तथा आंवटन निरस्त करने की सूचना डाक विभाग को जरिये रजिस्ट्रड–डाक से भिजवायी गयी। अनिगरानीकार द्वारा आंवटन निरस्त होने पर जिला परिषद अलवर को सूचित किया जिस पर जिला परिषद अलवर द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति कठूमर से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिस पर सहायक विकास अधिकारीयो की जॉच दल से जॉच करायी गयी जिस जॉच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत कठूमर द्वारा आंवटन निरस्त दिनाक 08.02.2022 को सही पाया गया। तथा जॉच रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति कठूमर के माध्यम से जिला परिषद अलवर को भिजवायी गयी। जॉच रिपोर्ट के अवलोकन पश्चात जिला परिषद अलवर द्वारा पत्र दिनाक 17.02.2022 को आंवटन निरस्त के आदेश को धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम में अंकित प्रावधानो के विपरीत माना तथा ग्राम पंचायत कठूमर के विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी कठूमर को पत्र भेजा गया इसके बाद ग्राम पंचायत कठूमर द्वारा पत्र दिनाक 08.02.2022 के द्वारा जिला परिषद अलवर को निवेदन किया कि जॉच रिपोर्ट सहायक विकास अधिकारी एवं शर्त संख्या 8 की पालना डाक विभाग द्वारा नही किये जाने पर निरस्त कर दिया गया था। आदेश दिनाक 17.02.2022 के द्वारा विकास अधिकारी कठूमर के माध्यम से अवगत कराया कि ग्राम पंचायत पटटे को निरस्त करवाना चाहती है, तो राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम 1994 की धारा 97, 98 के अन्तर्गत नियमानुसार निगरानी याचिका पेश करे। निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 06.10.1985 प्रस्ताव संख्या 12 जिसके द्वारा अनिगरानीकार को किया गया आंवटन निरस्त किये जावे।

विद्वान वकील अनिगरानीकार ने अपनी बहस में निगरानी प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत समिति कठूमर के आदेश दिनांक 06-10-1985 प्रस्ताव संख्या 12 जिसके द्वारा उप डाकघर कठूमर को पोस्ट ऑफिस भवन निर्माण हेतु कठूमर नगर रोड पर खाली भू0 खण्ड 39 गुणा 24 अर्थात 936

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

वर्गमीटर भूमि आंवटन की गयी है। अनिगरानीकार संख्या 2 व 3 केन्द्र सरकार द्वारा संचालित संस्थाऐ है, कठूमर में पोस्ट ऑफिस वास्ते भूमि का आंवटन होने के उपरान्त भवन निर्माण हेतु राशि केन्द्र सरकार के यहाँ से स्वीकृति में समय लगने के चलते आंवटित भूमि पर भवन निर्माण नही हो सका, वर्तमान में कठूमर में पोस्ट ऑफिस भवन निर्माण वास्ते डाक महानिदेशालय नई–दिल्ली को लिखा गया है, भवन निर्माण वास्ते वर्तमान वितीय वर्ष 2022–2023 में बजट आंवटन होते ही निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। पोस्ट ऑफिस विभाग के राजस्थान सर्किल जयपुर द्वारा कठूमर में पोस्ट ऑफिस भवन निर्माण वास्ते नई–दिल्ली को पत्र दिनाक 25.02.2022 लिखा गया जिसके साथ प्रथम वरियता पर कठूमर पोस्ट ऑफिस भवन वास्ते 60 लाख रूपये की राशि प्रस्तावित की गयी है। पोस्ट ऑफिस विभाग की ओर से कठूमर में पोस्ट ऑफिस भवन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी आर्थिक मंजूरी भी केन्द्र के यहां से हो चुकी है, शीध्र ही पोस्ट ऑफिस भवन निर्माण किया जाना प्राथमिक रूप से प्रस्तावित है। जिस हेतु पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा समस्त कार्यवाही की हुई है, जो कि आमजन के हितार्थ महति आवश्यक भी है। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रभावशाली निजी हित व्यक्तियो के दबाव व प्रभाव के चलते एवं मौके पर जमीनो की कीमते बढ जाने के कारण कथित पत्र डाक विभाग को प्रेषित किये गये थे, यहां गौरतलब है, कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की काफी जनहितार्थ योजनाऐ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से संचालित होती है, जिनका सिधा लाभ आमजन को पोस्ट ऑफिस निर्माण के उपरान्त प्राप्त होने में सहुलियत होगी। निगरानीकार के द्वारा बेजा रूप से उप डाकघर कठूमर को आंवटित आदेश दिनाक 06.10.1985 प्रस्ताव संख्या 12 के विरूद्व यह निगरानी पेश की गयी है। निगरानीकार को कथित जिला परिषद अलवर के पत्र दिनाक 23.02.2022 एवं ग्राम पंचायत के प्रार्थना पत्र दिनाक 08.03.2022 से निगरानी पेश करने वास्ते कोई विनायदावी विनायमुखास्मत किसी प्रकार से उत्पन नही होती है, ग्राम पंचायत द्वारा जारी आंवटन के विरूद्व विधिक रूप में 30 दिवस के अन्दर निगरानी पेश की जा सकती है। निगरानीकार के द्वारा प्रस्ताव पारित होने के पश्चात 30 दिवस उपरान्त दिनाक 05.11.1985 के उपरान्त निगरानी पेश किये जाने की दिनाक तक की अवधि के प्रत्येक दिन बाबत कोई विशिष्ठतः तथ्य/अभिवचन दर्ज नही किये गये है, जिनके अभाव में निगरानी खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। निगरानीकार का मुख्य कथन है कि ग्राम पंचायत कठूमर के द्वारा प्रस्ताव संख्या 12 दिनाक 15.10.1985 को पोस्ट ऑफिस का भवन निर्माण हेतु कस्बा कठूमर में कठूमर रोड के पास खाली भू0 खण्ड 39 गुणा 24 अर्थात 936 वर्गमीटर भूमि का आंवटन (पटटा) जारी किया गया था। जिस पटटे की शर्त संख्या 08 में अंकित था, कि इस भूमि पर आंवटन के 02 साल के अन्दर मकान बनाना अनिवार्य होगा, यदि नियत अवधि में यह कार्य नही कराया तो भू0 खण्ड वापिस लेने का अधिकार आंवटन अधिकारी ग्राम पंचायत कठूमर का होगा। ग्राम पंचायत कठूमर द्वारा दिनाक 06.10.1985 से आंवटित भूमि पर कब्जा नही होने एवं भवन निर्माण नही करने पर व आंवटन की शर्त संख्या 08 की अवहेलना किये जाने के कारण ग्राम पंचायत कठूमर की बैठक दिनाक 08.02.2022 को प्रस्ताव संख्या 02 के द्वारा आंवटन निरस्त किये जाने बाबत सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया। अनिगरानीकार संख्या 2 व 3 का कथन है, कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित संस्थाऐ है, कठूमर में पोस्ट ऑफिस वास्ते भूमि का आंवटन होने के उपरान्त भवन निर्माण हेतु राशि केन्द्र सरकार के यहाँ से स्वीकृति में समय लगने के चलते आंवटित भूमि पर भवन निर्माण नही हो सका, वर्तमान में कठूमर में पोस्ट ऑफिस भवन निर्माण वास्ते डाक महानिदेशालय नई–दिल्ली को लिखा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र.),
अलवर (राज0)

गया है, भवन निर्माण वास्ते वर्तमान वितीय वर्ष 2022–2023 में बजट आंवटन होते ही निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। पोस्ट ऑफिस विभाग के राजस्थान सर्किल जयपुर द्वारा कठूमर में पोस्ट ऑफिस भवन निर्माण वास्ते नई–दिल्ली को पत्र दिनाक 25.02.2022 लिखा गया जिसके साथ प्रथम वरियता पर कठूमर पोस्ट ऑफिस भवन वास्ते 60 लाख रूपये की राशि प्रस्तावित की गयी है। पोस्ट ऑफिस विभाग की ओर से कठूमर में पोस्ट ऑफिस भवन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी आर्थिक मंजूरी भी केन्द्र के यहां से हो चुकी है, शीध्र ही पोस्ट ऑफिस भवन निर्माण किया जाना प्राथमिक रूप से प्रस्तावित है। जिस हेतु पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा समस्त कार्यवाही की हुई है, जो कि आमजन के हितार्थ महति आवश्यक भी है। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है, तहत अदालत ग्राम पंचायत कठूमर द्वारा लिया गया प्रस्ताव संख्या 12 दिनाक 06.10.1985 जिसके द्वारा उप डाकघर को भू0 खण्ड 39 गुणा 24 अर्थात 936 वर्गमीटर भूमि का आवटन किया गया है, को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)
ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अलवर (राज0)